Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs)
8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.

No.F.14(39)/LA/01/03/ 1038 Dated the 18 June, 2003

NOTIFICATION

No.F.14(39)/LA-01/03 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 9.6.2003 and is hereby published for general information.

"The Delhi Nursing Homes Registration (Amendment) Act, 2002" (Delhi Act No. 7 of 2003)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 27.11.2002)

An Act further to amend the Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty- third Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi Nursing Homes Registration (Amendment) Act, 2002.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette

General.

2. In the Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 (Delhi Act No.6 of 1953) (hereinafter referred to as "the principal Act"), for the words "Chief Commissioner" and the words "Union territory of Delhi", wherever they occur, the words "Lieutenant Governor" and the words "National Capital Territory of Delhi" shall respectively be substituted.

Amendment of Section 4.

3. In the principal Act, in section 4, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) Every person intending to carry on a nursing home shall make an application for registration and for renewal of registration every third year to the supervising authority."

Amendment of Section 5.

4. In the principal Act, in section 5,-

(a) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(2) A certificate of registration issued under this section shall, subject to the

provisions of section 7, be in force and shall be valid until the 31st day of March of third year following the date on which such certificate was issued. ";

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) The certificate of registration issued for the specialty in respect of a nursing home shall be kept affixed in a conspicuous place in the nursing home ";

(c) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(4) A nursing home registered under this Act shall not use the term "research centre" against its name unless it has the approval of the appropriate authority to carry out such research."

Substitution of new Section for Section 6.

5. For section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"6. Whoever contravenes the provisions of section 3 shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, or, in the case of a second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both."

Substitution of new Section for Section 10.

6. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely: -

"10. Any fees received or fines paid under this Act shall be credited to the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi."

Substitution of new Section for Section 12.

7. For section 12 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely: -

"12. Whoever contravenes any of the provisions of this Act or of any rules shall, if no other penalty is elsewhere provided in this Act or the rules for such contravention, on conviction, be punished with fine which may extend to five hundred rupees and in the case of continuing offence to a further fine of one hundred rupees in respect of each day on which the offence continues after such conviction."

(Reena Singh Nag),
Joint Secretary (Law, Justice & L.A.).

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग,
8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली – 110002

संख्या : फा.14(39)/वि.कार्य–01/03/ 1038 दिनांक 18 जून, 2003

अधिसूचना

संख्या: फा. 14(39)/वि.कार्य–01/03: – राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 9.6.2003 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है

" दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2003)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 27.11.2002 को यथा पारित)

दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन के लिए एक अधिनियम

इसे भारतीय गणतंत्र के 53वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 1. (1) यह अधिनियम दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलाएगा ।

(2) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा ।

(3) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

सामान्य 2. दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) (यहां इसके पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में "मुख्य आयुक्त" तथा "संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली" आदि अभिव्यक्ति जहां कहीं भी आए हैं, उन्हें क्रमशः "उपराज्यपाल" तथा "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

धारा 4 में संशोधन 3. मूल नियमावली की धारा 4 में उपधारा (1) के लिए निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

"(1) नर्सिंग होम चलाने का इरादा रखने वाला व्यक्ति पंजीकरण के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को आवेदन करेगा तथा नवीकरण के लिए प्रत्येक तीसरे साल आवेदन करेगा ।"

धारा 5 में संशोधन 4. मूल नियमावली की धारा 5 में

(क) उपधारा (2) के लिए निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) इस धारा के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारा 7 के उपबंधों के अंतर्गत लागू रहेगा तथा जिस तारीख को प्रमाण-पत्र जारी किया गया था उसके तीसरे वर्ष की 31मार्च तक वैध रहेगा ।"

(ख) उपधारा (3) के लिए निम्नलिखित उपधारा 1 को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(3) पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो नर्सिंग होम में विशेषज्ञता के लिए जारी किया गया है, नर्सिंग होम में स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर लगाया जाएगा ।"

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को जोड़ा जाएगा अर्थात :-

(4) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नर्सिंग होम अपने नाम के आगे अनुसंधान केन्द्र शब्द नहीं लगाएगा । जब तक इस प्रकार के अनुसंधान करने के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति न दी गई हो ।"

धारा 6 के लिये नयी धारा का प्रतिस्थापन

5. मूल नियमावली की धारा 6 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6 जो व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लघंन करता है तो दोषी सिद्ध पाए जाने पर उसे पांच हजार रूपये तक जुर्माना या दूसरे या आगे अपराध किए जाने पर 6 माह तक की सजा या जुर्माना जो पांच हजार रूपये तक होगा या दोनों की सजा हो सकती है ।"

धारा 10 के लिये नयी धारा का प्रतिस्थापन

6. मूल नियमावली की धारा 10 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10 इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किया गया शुल्क या प्रदत्त जुर्माना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि में जमा किया जाएगा ।"

धारा 12 के लिये नयी धारा का प्रतिस्थापन

7. मूल नियमावली की धारा 12 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :-

"12 जो भी व्यक्ति अधिनियम या किसी नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता है और यदि इस अधिनियम या नियमावली में कहीं और ऐसे उल्लघंन के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की गई है तो उसे दोषी सिद्ध होने पर पांच सौ रूपये तक जुर्माना तथा अपराध निरंतर होने पर उस दिन से जिसमें अपराध सिद्ध दोष होने के पश्चात् जारी रहता है, प्रतिदिन के लिए आगे एक सौ रूपये जुर्माना होगा ।"

(रीना सिंह नाग),

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य).